फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

मुथुट हॉम फिन (इंडिया) लिमिटेड जिसका पंजिकृत कार्यालय 1201 एवं 1202, 12th फ्लोर लॉटस कॉरपोरेट पार्क, वेर्स्टन एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव पूर्व, मुम्बई–400063 एवं शाखा कार्यालय–501, 5th फ्लोर, लुहाडिया टॉवर, अहिंसा सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकारी श्री दीपक भूटानी **–प्रार्थी**

बनाम

1. मोहन लाल गाडरी पुत्र श्री मांगीलाल गाडरी पता – गाडरी मोहल्ला, ग्राम जूणदा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद राजस्थान 313328 **– ऋणी व बंधककर्ता**
2. पुष्पा देवी गाडरी पत्नि श्री मोहन लाल गाडरी पता– ग्राम जूणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद **– सहऋणी**

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 55/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 12.04.2022

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी मुथुट हॉम फिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर ने दिनांकः 08.12.2021 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 30.11.2018 को ऋण अनुबंध निष्पादित कर खाता संख्या 024–02401304 रूपये 665255/– अक्षरे छः लाख पैंसठ हजार दो सौ पचपन रुपए मात्र का ऋण प्राप्त किया था विपक्षी संख्या 1 ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी निर्माणशुदा अचल सम्पत्तियों को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में साम्यिक बंधक किया था। **बंधक सम्पत्ति का विवरण :–** श्री मोहनलाल गाडरी पुत्र श्री मांगीलाल गाडरी की अचल संपति पट्टा नंबर – 80, दिनांकित 29.05.2018 ग्राम जूणदा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1111.5 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि: पूर्व :– आम रास्ता, पश्चिम :– श्री भैरूलाल पारीख उत्तर :– श्री रूपलाल गाडरी, दक्षिण : श्री लालाराम/श्री रामलाल गाडरी, श्री रतनलाल गाडरी। विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 28.01.2021 को प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा विपक्षीगण का खाता अक्रियान्वित आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हैं। विपक्षीगण के खाते में बकाया राशि 7,35,327/– अक्षरे सात लाख पैंतीस हजार तीन सौ सत्ताइस रूपये मात्र दिनांक 31.03.2021 तक शेष व देय हैं। दिनांक 01.04.21

से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 24.03.2021 को डिमाण्ड नोटस विपक्षीगण को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति विपक्षीगण को दिनांक 30.03.2021 को होने के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया हैं। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कॉलम संख्या 2 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 24.03.2021 को जारी किया गया था। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी मुथुट हॉम फिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण :– श्री मोहनलाल गाडरी पुत्र श्री मांगीलाल गाडरी की अचल संपति, पट्टा नंबर – 80, दिनांकित 29.05.2018 ग्राम जूणदा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1111.5 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है किः पूर्वः– आम रास्ता, पश्चिम :– श्री भैरूलाल पारीख उत्तरः– श्री रूपलाल गाडरी, दक्षिण : श्री लालाराम/श्री रामलाल गाडरी, श्री रतनलाल गाडरी हैं।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी मुथुट हॉम फिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी मुथुट हॉम फिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)